संबंधित स्नातकों से शपथ पत्र के माध्यम से ली जाने वाली जानकारी के बिन्दु :

पंजीकृत स्नातक मतदाता जिन्होनें कोर्ट सभा चुनाव सत्र 2019–20 हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है उन्हें निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर 100/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प में शपथ पत्र देना होगा:–

1. आवेदक विश्वविद्यालय के अधीन परिक्षेत्र (बालाघाट, सिवनी, मण्डला, नरसिंहपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, जबलपुर, डिण्डोरी) में विगत 3 वर्षों से स्थायी निवास कर रहा हो, तत्संबंध में निवास प्रमाण स्वप्रमाणित आवश्यक रूप से संलग्न करे।
2. आवेदक शपथ पत्र में अपना नाम, रोल नं., नामांकन क्रमांक एवं उत्तीर्ण की गयी परीक्षा का सत्र स्पस्ट रूप से अंकित करे । तत्संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपाधि की स्वप्रमाणित छाया प्रति सलग्न करे।
3. आवेदक किसी भी अन्य विश्वविद्यालयों में कोर्ट सभा चुनाव हेतु अभ्यर्थी/मतदाता नहीं है का स्पस्ट रूप से उल्लेख करें।
4. आवेदक मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत संचालित शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों /विश्वविद्यालयों से वेतन प्राप्त न कर रहा हो, का स्पस्ट उल्लेख करें।
5. आवेदक द्वारा यदि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के अलावा अन्य किसी विश्वविद्यालय से अध्ययन कर उपाधि प्राप्त की गई हो, तो उपाधि की छाया प्रति संबंधित विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सील एवं हस्ताक्षरित/प्रमाणित कर प्रस्तुत करे।
6. स्वशासी महाविद्यालय के छात्र संबंधित महाविद्यालय से उपाधि सत्यापित कराकर जमा करें।
7. स्नातक छात्र उपाधि की स्वप्रमाणित छाया प्रति सलग्न करें।

नोट : जिन छात्र–छात्राओं ने आवेदन में अपना मोबाइल नं. अंकित नहीं किया है। वह विश्वविद्यालय में अपना मोबाइल नं. एक सप्ताह के अंदर आवश्यक रूप से अंकित करायें।

2. जिन छात्र–छात्राओं ने आवेदन के साथ शपथ पत्र संलग्न नहीं किया है, एक सप्ताह के अंदर आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में अपना शपथ पत्र जमा करायें।